द्वारा स्पीड पोस्ट / ई-मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं.160 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2023 / 573 दिनांक : 25/08/23

Registrar/Principal
Pacific College of Paramedical Science
Pacific Medical University, Bhilo ka badla
Pratappura, Udaipur

विषय :- डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने की मान्यता बाबत्।
संदर्भ :- आपका अभ्यावेदन / प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2022 व 17.08.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 10326/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 की अनुपालना में कराये गये निरीक्षण एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया एवं अपीलीय अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2023 की अनुपालना में संस्था / कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर Pacific College of Paramedical Science Pacific Medical University, Bhilo ka badla Pratappura, Udaipur को पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से निम्न कोर्स संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

Serial No.	Course Name	Seats
1	Diploma in Medical Laboratory Technology	50
2	Diploma in Radiation Technology	50
3	Diploma in operation Theater Technology	50
4	Diploma in Cath Lab. Technology	50
5	Diploma in Orthopedic Technology	50
6	Diploma in Dialysis Technology	50
7	Diploma in Emergency & Trauma Care Technology	50
8	Diploma in ECG Technology	50
9	Diploma in Blood Bank Technology	50
10	Diploma in Endoscopy Technology	50
11	Diploma in EEG Technology	50
12	Diploma in Opthalmic Technology	50

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 (ठ) एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है :-

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों / विनियमों / निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की कुल राशि 18,00,000/- रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाऐं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा संस्था द्वारा अपने संस्थान के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल / लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा अपने संस्थान के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल / लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल / लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

निरन्तर..........

द्वारा स्पीड पोस्ट / ई–मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

7. संस्था द्वारा प्रति पाठ्यक्रम 50,000/– रूपये मान्यता शुल्क के रूप में कुल 50,000x12 = 6,00,000/- रूपये नियमानुसार कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः पं.160 / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2023 / 573 दिनांक : 25/08/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार पेसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय उदयपुर।
7. काउन्सलिंग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार